

10/3/19

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संविधा / अचल जमाबंदी एवं अधिनियम 1950 / 19 / 1950-17

बिहार (आरखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव एवं मृत जमाबंदी से संबंधित।

दिनांक 13/3/19


जयेंश फलक
 आरखंड सरकार के जलक-2014/19/ दिनांक-13/03/19
 सादरित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, मू-अचल-सद-विशेष जयेंश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खात नं० गति-119/85/2008/19 दिनांक 02/04/2008 का सह-पठित राजस्व विभागीय, परिषद संख्या-914/19 दिनांक 09/12/1998 में लिखित निर्देश को अनुपालन में गैरमजबूत खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जीव जमाबंदी की जांच के काम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदन किया गया विवरणी निम्नवत है-

भौजा-आरखंड भौजा नं०-09 खत नं० 28
 प्लॉट नं० 132 रकबा 05 कर्छा की भूमि जो गैरमजबूत खास, आरखंड बिहार(आरखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उम भौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 215 पर जमाबंदी गेजल 3011 श्री. शोभा लाल के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचपरत उपर्युक्त दिवानी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदन किया गया है। जीव प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश क/अधेय बंदोबस्ती के आधार प/अधेय कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अधेय लगान निर्धारण के अख्यर पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि खान एवं सज्ज को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त दिवानी की जमीन की सृजित जमाबंदी अधेय प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतः- उपरोक्त जीव प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करें।
 अमिलेख दिनांक 23/3/19 को रखें।


13/3/19
 अंचल अधिकारी,
 धनबाद।

24/3/19


अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


24.3.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपास्थित। अद्योहरताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।
10/6/20


10.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
20/6/20 को रखे।



20.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
आमावाटा मौजा न० ०९ खाता २८ प्लॉट
न० 138 रकबा 050000 भूमि से सवधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रैयत
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस न० 301 (11) 93-94 के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमावदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव सशोधत।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।